डॉ. एस. सिद्धार्थ, भा.प्रा.से.
अपर मुख्य सचिव
वित्त विभाग
बिहार सरकार

पुराना सचिवालय,पटना-800015
फोन : 0612-2215805 (कार्या.)
फैक्स : 0612-2217694
ई-मेल : finsecy-bih@nic.in

पत्रांक-एम-4-48/2012....116..../वि०

सेवा में,

सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी /सभी कार्यालय प्रधान
बिहार ।

पटना-15, दिनांकः-04/01/2023

विषय :- **सामग्रियों के क्रय हेतु निर्गत की जाने वाली निविदा/कार्यान्वयन नीति/निर्देशिका में Brand Name का उल्लेख नहीं करने के सम्बन्ध में ।**

प्रसंग :- **वित्त विभागीय पत्रांक-3702 दिनांक-25.04.2014**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि प्रासंगिक विभागीय पत्र द्वारा राज्य के सरकारी कार्यालयों/निकायों/लोक उपक्रमों के स्तर पर सामग्रियों/सेवा की अधिप्राप्ति हेतु निर्गत की जाने वाली निविदा/कार्यान्वयन नीति/निर्देशिका में किसी विशेष Brand Name का उल्लेख नहीं करने का दिशा-निर्देश निर्गत है ।

विदित हो कि विभिन्न विभागों से प्राप्त संचिका के समीक्षा के क्रम में यह दृष्टांत सामने आया है कि सामग्रियों/सेवा की अधिप्राप्ति में ब्रांड/कंपनी का नाम उल्लेख किया जा रहा है, यह बिहार वित्त नियमावली एवं वित्त विभागीय दिशा-निर्देश पत्रांक-3702 दिनांक-25.04.2014 के प्रतिकूल है एवं कोई Brand सरकार द्वारा निर्धारित नहीं है जिसका MRP पर खरीद किया जाय ।

अतएव सामग्रियों/सेवा की अधिप्राप्ति हेतु निर्गत निविदा/कार्यान्वयन नीति/निर्देशिका में ब्रांड/कंपनी का नाम अंकित नही किया जाय । इस संदर्भ में प्रासंगिक वित्त विभागीय दिशा-निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

विश्वासभाजन,

4/1/2023
(डॉ० एस० सिद्धार्थ)
अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांकः-एम-4-48/2012-....116..../वि०, पटना, दिनांक-04/01/2023

प्रतिलिपिः-सभी जिला लेखा पदाधिकारी, बिहार को सूचना,आवश्यक कार्रवाई एवं अनुपालन हेतु प्रेषित ।

4/1/2023
अपर मुख्य सचिव।

sec-4/110